IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C No. ________________/2014.

Lalita Devi...***Petitioner.***

Versus

The State of Bihar &others...................................***Respondent.***

Sub: Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act.

INDEX

S.No.		*Particulars*	*Page No.*
1.		An application U/A 226 of Constitution of India with Affidavit.	1-11
2.	*Annexure:1.*	The true copy of the order dated 17.04.2006	12 - 17
3.	*Annexure:2 Series*	The true copies of letters dated 14.12.2012 and 11.02.2013 and the photo copy of letter dated 25.07.2014	18 - 20
4.	*Annexure:3*	The certified copy of entire order sheet from 07.08.2009 to 22.10.2009	21 - 27
5.	*Annexure:4*	The Photostat copy of petition	28 - 38
6.	*Annexure:5*	The true/photo copy of letter 1085 dated 13.10.2014	39
7.	*VAKALATNAMA*		

-----:O:-----

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C. W.J.C. No. ______________/2014.

Lalita Devi..*Petitioner.*

Versus

The State of Bihar &others..*Respondent.*

SYNOPSIS OF THE CASE

EVENTS DATES

23.04.1993	Anchaladhikari issued Parcha in favour of father of Respondent No.4 for 12 decimals of Khata No. 753 Khesra No.349 under the provisions of Bihar Privileged persons Homestead Tenancy Act, bearing case no.65/93-94
15.07.2001	The petitioner purchased 20 decimals of aforesaid land from its owner.
10.12.2001	The Petitioner preferred a Revision no.28/2001 before the collector under section 21 of the aforesaid Act..

17.04.2006	The collector cancelled the Parcha vide Annexure:1.
07.08.2009	Anchaladhikari started Revenue camp by the order of collector, Respondent no.4 filed application for issuance of Parcha under the Act vide case no.22/2009-10
22.10.2009	Parcha was granted to Respondent no.4 for 6 decimals.
14.12.2012	Additional Collector Madhepure directed to the DCLR to implement the order dated 17.04.2006
11.02.2013	DCLR directed Anchaladhikari to do needful regarding the cancellation of Parcha (Annexure-2series)
16.10.2014	The petitioner was dispossessed.

Hence, the writ petition for the relief as prayed in Para 1 of the writ petition.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C. W.J.C. No. _______________/2014.

In the matter of an application Under Articles 226 of the Constitution of India.

AND

In the matter of:

Lalita Devi, Wife of Nageshwar Prasad Yadav, Resident of Village: Lashkari, P.S: Udakinganj

At Present Resident of Bihariganj, P.S:Bihariganj, District: Madhepura.

……………………***Petitioner.***

Versus

1. The State of Bihar.

2. The Collector of the District, Madhepura

3. Anchaladhikari, Bihariganj, District-Madhepura.

4. NandLal Nai, Son of Kanhaiya Lal Nai, Resident of Bihariganj, Ward No. 9 P.S:Bihariganj, District: Madhepura.

..................***Respondents.***

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of High Court of Judicature at Patna and her companion justices of the Hon'ble High Court.

The humble petition on behalf of the petitioners above named.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:

1. That the petition is directed for the issuance of a writ in the nature of :

   (i) Certiorari: For Quashing the initiation of a proceeding by order dated 07.08.2009 under the provisions of Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act (herein after called as the Act) including the order dated 22.10.2009 passed in case no.22/2009-10 by Anchaladhikari (Respondent No.3)

whereby Parcha under the Act for an area of 6 decimal of land of Khata No. 753 Khesra No.349, has been granted to Respondent No.4.

(ii) Mandamus: for direction to restore the petitioner of her land from which she has been dispossessed on 16.10.2014 by the order of the collector.

(iii) For the issuance of any other writ order or direction which may be applicable in the facts and the circumstances of the case.

2. That the points involved in the writ petition are as follows:-

(i) Whether Second proceeding for issuance of Homestead Pareha could be granted in the teeth of contrary order of cancellation.

(ii) Whether there has been violation of Principles of Natural Justice in issuing Pareha without hearing the ~~order~~ owner of the land.

(iii) The impugned order of Pareha is arbitrary, malafide and colourable exercise of power and violative of Articles 14, 16, and 21 of Constitution of India.

3. That Petitioner is a citizen of India.

4. That Petitioner is a citizen of India and resides within the territorial Jurisdiction of the Hon'ble High Court.

5. That on 15.07.2001 the petitioner purchased a piece of land measuring 20 decimals of Khata No. 35(old)/753(New) and Khesra no.288(old)/349(New) which consisted 5 Rooms of asbestos roof, in eastern side. Three rooms were occupied by one Renu Devi from north and 2 room occupied by Kanhaiyalal Nai (the father of Respondent No.4) as tenants.

6. That after purchase, the name of petitioner was mutated, Rent Receipts were granted and new Jamabandi no.50/01 was created in her name. The tenants Renu Devi vacated the rooms but, the father of Respondent No.4 did not vacate on the Plea that he had obtained Parcha under the Act for

12 decimals by order dated 13.04.1994 by Anchaladhikari in a case No.65/1993-1994.

7. That the petitioner inquired into the matter and found the illegality committed by the authorities under this Act and she further learnt fraud committed by the Late Kanhaiya Lal Nai in obtaining the Parcha claiming to be Privileged person and not as a tenants.

8. That the petitioner filed a Revision under the Act before the Collector, bearing no.28/01 (Lalita Devi Versus Kanhaiyalal Nai), The collector called for a report from Anchaladhikari who by his letter No. 132-2 dated 02.08.2002 recommended for cancellation of Parcha. The Collector by Order dated 17.04.2006 cancelled the Parcha dated 23.04.1994.

The true copy of the order dated 17.04.2006 is annexed herewith and marked as ***Annexure:1*** to this petition.

9. That the order dated 17.04.2006 was not challenged ~~ion~~ in Higher court and thus the order still continues, So far as the petitioners Knowledge is concerned but in spite of the order dated 17.04.2006, the Respondent No.4 did not vacate the two rooms. The petitioner approached the Anchaladhikari who referred the matter to DCLR by letter dated 14.12.2012 and DCLR accordingly sent letter to Anchaladhikari dated 11.02.2013 to do needful. again the DCLR sent letter to Anchaladhikari to implement the order of collector vide letter no. 1822 dated 25.07.2014.

The true copies of letters dated 14.12.2012 and 11.02.2013 and the photo copy of letter dated 25.07.2014 are annexed herewith and marked as ***Annexure:2*** series to this petition.

10. That when in spite of aforesaid orders (Annexure:2series) the Respondent No.4 did not vacate the land, the petitioner inquired into this matter and learnt that after the death of

father of Respondent 4 he applied for issuance of Parcha for 6 decimals of aforesaid land in camp court on 07.08.2009 whereupon a case no.22/2009-10 was started by Anchaladhikari, who by order dated 22.10.2009 ordered for issuance of Parcha.

The certified copy of entire order sheet from 07.08.2009 to 22.10.2009 is annexed herewith and marked as ***Annexure:3*** to this petition.

11. That after learning about the issuance of aforesaid Parcha, under the Right to Information Act, the petitioner, on 02.09.2014 filed one revision petition under section 21 of the Act, before the collector against the order dated 22.10.2009, with a limitation petition for condonation of delay, before the collector bearing no. 17/2004 (Smt. Lalita Devi Vs. Nandlal Nai) which is pending.

with limitation Pet

the Photostat copy of petition is annexed herewith and

cancelled and the authorities took steps in order to give effect to the order of collector dated 17.04.2006, but on the other hand Anchaladhikari granted Parcha to Respondent No.4 and the collector disposed the petitioner from the land measuring 6 decimals containing 5 rooms.

14. That it is submitted that a very incongruous situation was created, due to illegal procedure ~~was~~ adopted by the Anchaladhikari and contrary conclusion was arrived at.

15. That from the perusal of entire order sheet (Annexure-3) of case no. 22/2009-2010, it will be apparent that no notice was given to the petitioner prior to pass order dated 22.10.2009 whereby Parcha under the Act was granted to Respondent No.4 and thus there has been violation of Principles of Natural Justice.

16. That it is submitted that the ~~ignition~~ of a proceeding by (Anchaladhikari case no.22/2009-10) is without Jurisdiction and colourable exercise of power.

17. That petitioner has got not any others alternative and /or efficacious remedy than to move this Hon'ble High court through this writ petition.

18. That the petitioner has not moved this Hon'ble High Court earlier for reliefs as prayed here.

It is, therefore, prayed that your lordships may graciously be pleased to, issue RULE NISI calling upon the Respondents as to why the reliefs prayed in Paragraph No. 1 of the petition be not allowed and after the cause shown, if any ,make the same absolute..

AND/OR

Pass such other order or orders as your Lordships may deem fit and proper.

And for this, the petitioners shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Nageshwar Prasad Yadav, Aged about 70years, Son of Late Bhagawat Prasad Yadav, Resident of Village: Lashkari, P.S: Udakinganj, At Present Resident of Bihariganj, P.S:Bihariganj, District: Madhepura. , do here by solemnly affirm and state as follows:

1. That I am Husband of the petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances in this case.
2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same and the statements made in Para No 13 to 18 true to my knowledge and which stated in Para No 3 to 12 is true to my information derived from the documents.
3. That the Annexures are typed/ photo copies of their originals.

marked as ***Annexure:4*** to this petition.

12. That it will be relevant to state here that, in order to give effect to the order dated 22.10.2009, the collector directed the S.P Madhepura, as per memo no. 1085 dated 13.10.2014 to arrange Police Force, which was done by S.P and in this way the petitioner was disposed from the land and rooms wherein the petitioner was residing with her full family.

The true/photo copy of letter 1085 dated 13.10.2014 is annexed herewith and marked as ***Annexure:5*** to this petition.

13. That from the perusal of orders dated 17.04.2006 (Annexure:1), 14.12.2012, 11.02.2013 and 25.07.2014 (Annexure-2series) it is obvious that at one hand the collector passed order whereby Parcha in the name of father of Respondent No.4 measuring 120 decimal was

न्यायालय समाहर्ता, मधेपुरा

वासगीत पर्चा वाद स0 28/2000

श्रीमति ललिता देवी बनाम- कन्हैया लाल नाई

आदेश

17.4.2006 :- अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया।प्रस्तुत वासगीत पर्चा अपील वाद स028/01 श्रीमती ललिता देवी पति नागेश्वर प्रसाद यादव वगैरह सा0 लश्करी ,थाना- उदाकिशनगंज हाल सा0 बिहारीगंज थाना- बिहारीगंज जिला- मधेपुरा ने अंचल अधिकारी, उदाकिशनगंज के वासगीत पर्चा वाद स0 65/93-94 में दिनांक 23.4.1994 को पारित आदेश के विरूद्ध बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 ऐक्ट 1947 की धारा -21 के अन्तर्गत दिनांक 10.12.2001 को दाखिल किया गया है। प्रस्तुत वाद मे आवेदकगण द्वारा कन्हैया लाल नाईपे0 मांगी लाल नाई सा0 बिहारीगंज थाना- बिहारीगंज जिला- मधेपुरा को प्रतिवादी बनाया गया है, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत जमीन खाता

निर्वाधित केवाला कराया है, दिनेस कुमार करनाली काशी राम के पुत्र है प्रश्नगत जमीन को जमाबन्दी न0 123 टोला राम एवं काशी राम के नाम दर्ज था। दिनेस कुमारकरनानीकोप्रश्नगत जमीन की विक्री करने का अधिकार भुंस्वामी टोला राम एवं काशी राम से प्राप्त था।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के प्रश्नगत वासगीत पर्चा को रद्द करने का अनुरोध किया।

2. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उन्हे प्रश्नगत जमीन कावासगीत पर्चा दिनांक 23.4.94 को ह ,प्राप्त हुआहै एवं वे उक्त जमीन पर वासगीत पर्चा को वैध ठहराया । बताया है उनका यह भी कहना है कि बिहारीगंज अ0हे0 विघटित हो चुका है।

3. अभिलेख के साथ सलग्न अंचल अधिकारी बिहारीगंज के पत्र स0 132-2 दिनांक 2.8.02 से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी बिहारीगंज ने ,प्रतिवेदित किया है किप्रश्नगत ~~x~~ जमीन बिहारीगंज

अधिसूचित क्षेत्र समिति के अन्तर्गत पडता था। प्रावधानानुसार बिहारीगंज अधिसूचित क्षेत्र के वासगीत पर्चा देना नियम के विरूद्ध है उन्होंने उक्त निर्गत वासगीत पर्चा को रद्द करने की अनुशंसा की है।

4. जिला पंचायत राज पदा० मधेपुरा के पत्र सं० 177 दिनांक 31.8.2005 से प्राप्त बिहारीगंज अधिसूचित क्षेत्र के विघटन की अधिसूचना का अवलोकन किया। नगर विकास विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना सं० 230 दिनांक 14.1.97 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत बिहारीगंज अधिसूचित क्षेत्र समिति को विघटित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र की दर्जा दी गयी है।

5. उभय पक्षों को अपना अपना लिखित बहस एवं कोर्ट रूलिंग (नियमन) हो तो एक सप्ताह के अन्दर दाखिल करने का निदेश दिया गया।

सिर्फ आवेदक की ओर से लिखित बहस लगान रसीद एवं निबंधित केवाला की छाया प्रति सलग्न किया है जो

आवेदक की ओर से उनके आवेदनपत्र के साथ 30.8.2001 को निर्गत रसीद स०553190, 23.7.2002 को निर्गत

रसीद स0 573899 एवं 7.4.फर्जी अस्पष्ट से निर्गत रसीद स0796553 की छाया प्रति सलग्न किया है।

उक्त रसीद स0 खाता स0 753 खेसरा न0349 एवं रकवा0.20 डि0 अंकित है।

आवेदक कीओर से निर्वाचित केवाला स0 3886 दिनांक 19.7.2001 की छाया प्रति भी दाखिल कियाहै उक्त केवाला में जमीन का विवरण निम्न है।

खाता	खेसरा	रकवा
35 पु0 / 753 न	288 पु0 / 349न0	0.20डि0

प्रतिवादी कीओर से तो लिखित बहस भी दाखिल किया गयाऔर न ही किसी प्रकार का नियम

निष्कर्ष

अत: अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि बिहारीगंज अधिसूचित क्षेत्र का विघटन नगर विकास विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना स0230 दिनांक 14.1.1997 द्वारा

हुआ है, एवं प्रश्नगत जमीन का वासगीत पर्चा अंचल अधिकारी उदाकिसुनगंज द्वारा दिनांक 23.4.94 को निर्गत किया गया है स्पष्टत: अ0अ0 द्वारा जिस समय वासगीत पर्चा निर्गत किया गया था उस उक्त बिहारीगंज अधिसूचित क्षेत्र अस्तित्वमें था।

नियमानुसार अधिसूचित क्षेत्र/ शहरी क्षेत्र की जमीन का वासगीत पर्चा निर्गत नही किया जा सकता है इस प्रकार अ0अ0 उदाकिसुनगंज द्वारा वासगीत पर्चा वाद स0 65/93-94 के माध्यम से कन्हैया लाल नाई पिता मांगी लाल नाई, सा0 बिहारीगंज के नाम निर्गत वासगीत पर्चा अवैध है, अत: प्रश्नगत वासगीत पर्चा का रद्द किया जाता है

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी उदाकिसुनगंज अस्पष्ट में बिहारी गंज को आवश्यक कारवाई हेतु भेजे।

इस तरह वाद को निष्पादित किया जाता है उभय पक्ष के अधिवक्ता को इस आदेश से अवगत करा दे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत
ह0अ0
समाहर्ता

ह0अ0
समाहर्ता, मधेपुरा
17.4.

Annexure-2

समाहरणालय मधेपुरा

[राजस्व शाखा]

पत्रांक: --- रा०

प्रेषक: अपर समाहर्ता,

मधेपुरा

सेवा में

भूमि सुधार उप समाहर्ता,

उदाकिशनगंज,

मधेपुरा, दिनांक: 14 वी दिसम्बर-2012 ई०

विषय:- श्री नागेश्वर प्रसाद यादव सा० बिहारीगंज जिला- मधेपुरा से प्राप्त आवेदन पत्र पर आवश्यक कारवाई करने के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्री नागेश्वर प्रसाद यादव सा० बिहारीगंज जिला मधेपुरा से प्राप्त आवेदन पत्र अनुलग्नक सहित इस पत्र के साथ सलग्न कर भेजा जा रहा है मामला समाहर्ता मधेपुरा के न्या० के वासगीत वाद स० 28.1.01 मे पारित आदेश दिनांक 17.4.06 के अनुपालन से संबंधित है, यह खेद जनक स्थिति है कि माननीय समाहर्ता के न्या० आदेश के अनुपालन में शिथिलता बरती जा रही है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि मामले की अपने स्तर से अनुपालन सुनिश्चित करायी जाये।

विश्वासभाजन

ह०अ०

अपर समाहर्ता, मधेपुरा।

14.12.2012

Annexure 2 (Sinis)

19

(11)

अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज

पत्रांक 395-2 (A4) /रा0

प्रेषक,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,

उदाकिशुनगंज।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,

बिहारीगंज।

11-2-13

उदाकिशुनगंज, दिनांक 11 ~~दिसम्बर~~ फरवरी 2013

विषय :- श्री नागेश्वर प्रसाद यादव, सा0-बिहारीगंज, थाना+अंचल-बिहारीगंज से प्राप्त आवेदन पत्र पर आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रसंग :- अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा के पत्रांक-731-2, दिनांक-14.12.12

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के माध्यम से श्री नागेश्वर प्रसाद यादव, सा0-बिहारीगंज, थाना+अंचल- बिहारीगंज, जिला-मधेपुरा से प्राप्त परिवाद पत्र एवं प्रासांगिक पत्र को मूल में इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जाता है।

निदेश दिया जाता है कि प्रासांगिक पत्र के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करें।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

11.02.13

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,

उदाकिशुनगंज।

11/2/13

4

20

अनुमंडल कार्यालय उदाकिशुनगंज।

पत्रांक 1822-2

(25)

प्रेषक :-

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
उदाकिशुनगंज।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
बिहारीगंज।

25-7-14

उदाकिशुनगंज, दिनांक 25/07/2014

विषय :- श्री नागेश्वर प्रसाद यादव, साकिन- बिहारीगंज, जिला- मधेपुरा से प्राप्त आवेदन की जाँच के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि श्री नागेश्वर प्रसाद यादव, साकिन- बिहारीगंज, जिला- मधेपुरा से प्राप्त आवेदन पत्र की छाया प्रति संलग्न कर भेजा जाता है। समाहर्त्ता, मधेपुरा के न्यायालय के बासगीत पर्चा वाद संख्या- 28/2001 दिनांक- 17.04.2006 में पारित आदेश के अनुपालन से संबंधित है।

अतः निदेश दिया जाता है कि परिवाद पत्र में अंकित बिन्दुओं का जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करावें।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

25/7/14

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
उदाकिशुनगंज।

Ammeyun 21

3

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy. 45	स्टाम्प और फोलिजो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	Date of delivery of the requisite stamps and folios.	Date on which ... was ready for delivery.	... copy to the applicant.
16/07/2014	16/07/2014	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014

राजस्व शिविर कृषि बाजार समिति, बिहारीगंज

अंचल कार्यालय, बिहारीगंज।

केश का प्रकार:- बासगीत पर्चा

वाद संख्या-22/09-10

तिथि	आदेश फलक
7.8.09	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेशानुसार दिनांक- 07.08.09 को कृषि बाजार समिति के प्रांगण में विशेष राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें क्रमांक 1285 दिनांक- 7.8.09 को हल्का नं0 4 से श्री नन्दलाल नाई पि0 कन्हैयालाल नाई द्वारा बासगीत पर्चा हेतु आवेदन किया गया।

अंचल कार्यालय बिहारीगंज मधेपुरा

जमीन का विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा-बिहारीगंज/231

खाता	खेसरा	रकवा
753	349	0.12 डीसमल

चौहद्दी उत्तर- बिमला देवी

दक्षिण- मदन जायसवाल

राजस्व कर्मचारी/ अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जाँच प्रतिवेदन एवं प्रे

22

सत्यमेव जयते

भारत

TWENTYFIVE PAISE

COURT FEE ONE RUPEE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

2·

मेप की मांग करें।

ह0/=अस्पष्ट

7·8·09

अंचल अधिकारी,

बिहारीगंज

30·09·09 राजस्व कर्मचारी। प्रभारी अंचल निरीक्षक एंव अंचल अमीनसे जाँच प्रतिवेदन के साथ ट्रेस मेप प्राप्त राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक, द्वार प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के पिता वस्तुत: अधिवासित भूमि अपना मकानमय सहन नौकर के हैसियत से रहते थे तथा अपने मालिक के अ-वे समाज का सेवाकरीब 40 (चालिस) वर्षो से नाई के रूप में तथा वर्तमा में उनके उत्तराधिकारी करते आ रहे है।

अंचल कार्यालय बिहारीगंज

अंचल अधिकारी, उदा. किशुनगंज वाद संख्या -65/73-74 द्वारा आवेदक के पिता के नाम से बासगीत पर्चा निर्गत हो चुका था जो नियमत: अधिसूचित क्षेत्र रहने के कारण जिला पदाधिकारी मधेपुरा के द्वा निरस्त किया गया, वर्तमानमें आवेदक सपरिवार पूर्व वाले जमीन में रह रहा है।

23

भारत

TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

3.

वर्तमान ग्राम पंचायत मुखिया, सरपंच जिला परिषद एवं ग्रामीणों द्वा दिये गये, आवेदन से पुष्टि होता है कि आवेदक का आवासीय मकान मय सहन उसी भूमि पर है।

अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के ज्ञापांक 477 (गो0) दिनांक- 27.12.2006 जो जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को जाँच प्रतिवे समर्पित किया गया है जिसमें आवेदक को प्रेश्रय प्राप्त रैयत मानकर बासग पर्चा निर्गत करने का अनुशंसा किया गया है।

राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा बताया गया है चूंकि आवेदक के नाम उपरोक्त भूमि का बासगीत पर्चा निर्गत नहीं किया तो ये सड़क पर आ जायेंगे भूधारी को नोटिस तामिला करावें।

अंचल कार्यालय बिहारीगंज मधेपुरा

ह0/=अस्पष्ट
30.09.10
अंचल अधिकारी,
बिहारीगंज।

22.10.09 सूचना का तामिला प्राप्त। सूचना के पीछे पृष्ठ पर अंकित किया गया है

रुपये पैसे

सत्यमेव जयते

भारत

TWENTYFIVE PAISE

94

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folies.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

3.

कि लब्धधारी श्री मति ललिता देवी पति श्री नागेश्वर यादव वो रेणु देवी पति स्व0 पवन जैन में से मात्र रेणु देवी यहाँ रह रही है रेणु देवी द्वारा सूचना तामिला नही किया गया आपत्ति आवेदन अप्राप्त।

अभिलेख में संलग्न सभी कागजातों (जाँच प्रतिवेदन) का अवलोकन किया जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वयं जाँच कि

1. विवादित भूमि पर आवेदक के पिता करीब 40 वर्षों से रह रहा है जो स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया।

स्थानीय लोगों द्वारा यह भी बताया गया कि माडवारी नाई के रूप में राजस्थान से जमीन मालिक के द्वारा लाया गया एवं उक्त जमीनपर बसाया गया जमीन मालिक यहाँ से पुनः दूसरे जगह कारवार करने के लिये चला गया। जमीन मालिक के लडका द्वारा बासगीत वाली जमीन को दूसरे के नाम से बिक्री कर दिया गया। वर्तमान में आवेदक का मकानमय सहन बासगीत वाली जमीन में है एवं आवेदक के द्वारा बिजली बिल भुगतान किया जा रहा है जो अभिलेख में संलग्न है।

अंचल कार्यालय बिहारीगंज

मधेपुरा

25

भारत

सत्यमेव जयते

TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

5·

2· माड़वारी समुदाय के अधिकांश लोग एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा बासगीत पर्चा निर्गत करने की मांग रखी गई तथा बताया गया कि इस जमीन के अलावे आवेदक को कोई जमीन नहीं है।

3· ~~स्ट्रक्ट~~ कि, स्थल पर समाजिक व्यवहार के चलते आवेदक का जमीन पर दखल कब्जा बरकरार है।

4· वर्तमान में समय में बिहारीगंज देहाती क्षेत्र है तथा आवेदक को समाज का समर्थन प्राप्त है ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि जमीन मालिक सपरिवार बिहारीगंज से चले जाने के कारण उनका लड़का दूसरे के नाम बासगीत पर्चा वाली भूमि को भी बिक्री कर दिया

अतः सभी बिन्दु को देखते हुए आवेदक के नाम बासगीत पर्चा निर्गत करने की स्वीकृति दी जाती है।

कार्यालय बिहारीगंज मधेपुरा

01/08/14

01/08/14

ह० अस्पष्ट

22·10·,09

अंचल अधिकारी,

बिहारीगंज

मकानमय सहन

२५ पैसे
सत्यमेव जयते
भारत
TWENTYFIVE PAISE

27

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

7·

7· समाहर्त्ता द्वारा निर्धारित उचित लगान- 0·30

8· हैसियत कायमी यासिकमी दखलकार - प्रश्रयप्राप्त रैयत

9· केस सं0 बिहार प्रिविलेज्ड परसन्स होमस्टीड टिनेन्सी एक्ट के अधीन

22/09-10

10· अभियुक्ति

कार्यालय का मुहर

ह0/=अस्पष्ट

22·10·09

समाहर्त्ता अंचल अधिकारी,

ह0/=अस्पष्ट बिहारीगंज मधेपुरा

22·10·09

01/08/14

01/08/14
लिपिक
अंचल का० बिहारीगंज

Roshan Kumar
18/14
अंचल का० बिहारीगंज

Annexure-4

98

न्यायालय में,

समाहर्त्ता, मधेपुरा ।

बासगीत पर्चा रिविजन वाद संख्या __________ वर्ष 2014

1. श्रीमती ललिता देवी पति श्री नागेश्वर प्र0 यादव

2. श्री नागेश्वर प्र0 यादव पिता स्व0 भागवत प्र0 यादव

दोनों सा0 लश्करी थाना -उदाकिशुनगंज

हाल मोकाम-बिहारीगंज थाना-बिहारीगंज

जिला - मधेपुरा . . . . पीटीशनर

बनाम

1. नन्दलाल नाई पे0 स्व0 कन्हैयालाल नाई

सा0 बिहारीगंज वार्ड नं0 9 थाना वो अंचल

बिहारीगंज जिला - मधेपुरा

हाल मोकाम नोएडा, उत्तर प्रदेश . . . . . प्रतिपक्षी

वादगत भूमि का विवरण :-

मौजा	खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी
बिहारीगंज	753	349	0.12 डी.	उ0- विमला देवी द0- मदन जायसवाल

प्रसंग : अंचलाधिकारी, बिहारीगंज के कार्यालय में बासगीत पर्चा केश नं0 22/09-10 में पारित आदेश दिनांक 22.10.09 से संबंधित रिविजन का ज्ञापन ।

उपर नामांकित पीटीशनर द्वारा स्टेट लैन्ड एक्ट की धारा ... के तहत रिविजन का ज्ञापन दायर ...

2-9-14

विविध-सामान्य

02/09/14

24/11/14

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA
COURT FEE
Authorization No. 2037
भारत INDIA
STAMP DUTY
Rs. 0000005
बिहार JUDICIAL BIHAR
0545 8318418

GOVT. OF BIHAR
COURT FEE
Authorization No. 2037
भारत INDIA
STAMP DUTY
Rs. 0000005
बिहार JUDICIAL BIHAR
0051 9511378

(3) (13)

कर इस प्रकार निवेदन करते हैं :-

1. कि उपर अंकित वादगत व्यौरा की भूमि सहित अन्य भूमि पूर्व में भूस्वामी तोलाराम एवं काशीराम करनानी के शांतिपूर्ण दखल कब्जे एवं स्वत्व की भूमि रही थी जिसके अंश में दोनों भाईयों का आवासीय गृह मकान सहन आदि रहा था तथा दोनों भाई व्यापार करते थे । यहाँ उल्लेखनीय होगा कि बिहारीगंज मधेपुरा जिला एवं किशुनगंज अनुमंडल का एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र रहा है तथा उसी परिसर में माल गोदाम आदि भी अवस्थित रहा था ।

2. कि उपरोक्त दोनों भाई तोला राम करनानी एवं काशी राम करनानी के नाम बिहार सरकार के सिरिस्ते में जमाबंदी नं0 1255 कायम हुई तथा बिहार सरकार को माल गुजारी अदाय कर रसीद प्राप्त कर जमीन पर हकदार दखलकार रह कर अपना व्यापार करते थे ।

3. कि उक्त भूधारी दोनों भाई जब अपना व्यापार दूसरे शहर में करने लगे तथा रूपये की सख्त आवश्यकता आ पड़ी तो उन्होंने अपनी बिहारीगंज स्थित वादगत भूमि सहित अन्य भूमि बेचने की इच्छा जाहिर की । यह प्रार्थी भूमि खरीदने की बात तय कर कीमत के रुपये अदाय कर अपनी पत्नी ललिता देवी जो एक पर्दानशीन घरेलू महिला है तथा अपनी आमदनी जरिया नहीं है तथा मेरी आमदनी पर आश्रित है के नाम रजिस्ट्री ऑफिस में निबंधित केवाला दस्तावेज दिनांक 19.7.2001 को अपनी पत्नी श्रीमती ललिता देवी के नाम खरीद कर हकदार दखलकार हुए ।

Sanj 22/11/14

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA
Authorization No. 2037
भारत INDIA STAMP DUTY
00005 ₹5
374150
*Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*Five***
21.11.2014
बिहार BIHAR JUDICIAL
0052 6812649

4. कि भूमि खरीदगी के बाद पीटीशनर अपनी पत्नी श्रीमती ललिता देवी के नाम अंचल कार्यालय, बिहारीगंज में नामान्तरण कायम करवाकर माल गुजारी रसीद प्राप्त करते आते रहे जिसकी जमाबंदी केश नं0 50/2001 कायम हुई वो हकदार-दखलकार आते रहे । यहाँ उक्त ललितता देवी पीटीशनर नं0 1 है तथा प्रार्थी ही देखभाल करता है अत: वो पीटीशनर नं02 की हैसियत से वाद दायर कर रहा है ।

5. कि चूँकि भूस्वामी दोनों भाई तोलाराम करनानी एवं काशीराम करनानी दूसरे शहर में अपना व्यापार आदि करते थे उनकी अनुपस्थिति में वादगत भूमि सहित प्रार्थी द्वारा खरीदगी की अन्य भूमि का हाल सर्वे खाता बिहार सरकार के नाम अंकित हो गया तथा जानकारी पश्चात खाता सुधार हेतु 106 बी॰टी॰एक्ट के तहत खाता सुधार हेतु वाद संख्या- 839 /89 दायर किया जिसमें हमारे किरायेदार कथित बासगीत पर्चाधारी रामेश्वर भगत मध्यवर्ती पक्षकार बने तथा साक्ष्य आदि उपरांत खाता क्रेता के नाम अंकित हो गया ।

6. कि इसी क्रम में चूँकि भूधारी दूसरे शहर में व्यापार कर रहे थे उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर कन्हैयालाल नाई जो किरायेदार की हैसियत से पूर्व के भूधारी बिक्रेता तोलाराम करनानी दोनों भाई की अनुमति से घर के एक भाग एक कोठरी में रहते थे । बासगीत पर्चा बनवाने में सफल हुए उसके बाबत श्रीमान् के न्यायालय में बासगीत रिविजन वाद सं0 2[illegible]/2000 दायर किया, जिसमें पर्चाधारी कन्हैयालाल नाई उपस्थित हुए तथा [illegible]

GOVT. OF BIHAR
COURT FEE
Authorization No. 2037
INDIA
BIHAR
21.11.2014
0053 7113620

को देखते हुए श्रीमान् के न्यायालय के आदेश दिनांक 17.4.2006 को पर्चा रद्द किया गया एवं उस आदेश के क्रियान्वयन (एक्जक्यूसन) का कारवाई चल रही है । यहाँ यह ज्ञातब्य होगा कि अन्य किरायेदारों के विरूद्ध इजीक्शन सूट नं0 50/02, 51/04, 52/04 न्यायालय, सबजज प्रथम, मधेपुरा के न्यायालय में लंबित है ।

7. कि यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि उक्त पर्चाधारी कन्हैयालाल नाई जो मूलत: राजस्थान के रहने वाले थे कि मृत्यु हो गई है तथा उनके दो पुत्र (1) नन्दलाल नाई जो सम्प्रति सपरिवार नोएडा (उत्तर प्रदेश) में नौकरी करते हैं जो कथित पर्चाधारी हैं तथा एक भाई बाबूलाल डाकर गुलाब बाग, पूर्णियाँ में आयुर्वेद की फैक्टरी खोले हुए हैं, वहीं रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं । स्थानीय दलबंदी के कारण सम्पत्ति हड़पने के उद्देश्य से तथ्यों को छिपाकर पुन: बासगीत पर्चा बनाने में सफल हुए जिस बाबत प्रस्तुत मामला दाखिल किया जा रहा है ।

8. कि प्रार्थी पेटीशनर को बासगीत पर्चा की कतई कोई जानकारी नहीं रही थी । अपवाहन बासगीत पर्चा की जानकारी मिली तो सूचना के अधिकार के तहत माह अप्रील, 2014 को सूचना मांगी, जो सूचना उसे दिनांक 26.5.2014 को प्राप्त हुआ, तब जानकारी मिली कि 6 डी0 जमीन का नामान्तरण अन्य व्यक्ति के नाम हो गया है । रूपये पैसे का आवश्यक बन्दोवस्त कर दिनांक 11.8.2014 को माल गुजारी रसीद कटाया जिसमें मात्र 14 डी0 का निर्गत हुआ तब पता लगाकर दिनांक 25.8.2014 को

बाजाप्ता नकल हेतु आवेदन दिया जो नकल इसे दिनांक 29.8.2014 को प्राप्त हुई तथा नकल को पढ़ने उपरांत सारे तथ्यों से अवगत हुआ तथा नकल प्राप्त उपरांत दिनांक 30.8.2014 को विद्व अधिवक्ता से सम्पर्क कर अविलंब रिविजन दायर कर रहा है तथा विलम्ब के दोष मोकर्रर हेतु अलग से आवेदन दायर किया जाता है।

9. कि प्रार्थी को कोई नोटिस या सूचना नहीं मिली अगर कोई तामिला पाई भी जाय तो वह वाला-वाला होगा, न कोई स्थल निरीक्षण हुआ। अगर कोई स्थल जांच हुई होती तो प्रार्थी पीटीशनर को जानकारी होती। सम्प्रति घर में भूधारी ललिता देवी तथा प्रार्थी रह रहा है। सम्पूर्ण आदेश अनिश्चित एवं अवैध है।

10. कि अंचलाधिकारी के कार्यालय में दाखिल खारिज पर्चा केस नं0 22/09-10 के आदेश दिनांक 22.10.2009 के आदेश से असंतुष्ट एवं परिवेदित होकर पीटीशनर यह रिविजन का ज्ञापन दायर कर निवेदन करता है कि इसे एडमिट कर निम्न न्यायालय से अभिलेख तलब कर पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आक्षेपित आदेश को रद्द करने की असीम कृपा दर्शायी जाय जिसके लिये अन्य आधारों के अलावा निम्न आधार है।

आधार
=====

(क) क्योंकि आक्षेपित आदेश तथ्यों एवं स्थितियों को विधि की मान्यताओं के प्रतिकूल है।

24/11/14

§ख§ क्योंकि प्रतिपक्षी प्रश्रय प्राप्त रैयत की श्रेणी में नहीं आते हैं ।

§ग§ क्योंकि प्रतिपक्षी के पूर्वज पिता कन्हैयालाल नाई ने श्रीमान् के न्यायालय में बासगीत पर्चा वाद सं0 65/93-94 लेने में सफल हुए थे जिस बावत श्रीमान् के न्यायालय में बासगीत पर्चा रिविजन वाद सं0 28/2001 दायर किया था जिसमें श्रीमान् के न्यायालय के आदेश दिनांक 17.4.2006 के द्वारा बासगीत पर्चा रद्द किया जा चुका है तथा आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया चल रहा है, उस आदेश के पाबंदी कन्हैयालाल नाई के वारिसों को भी होगी । मात्र इसी बिन्दु पर बासगीत पर्चा रदद होने योग्य है ।

§घ§ क्योंकि बासगीत पर्चा निर्गत करने एवं अनिवार्यत: नियम की धारा §5§ 1. जिसमें स्वयं अथवा वरिष्ठ सी.आई. के रैंक के राजस्व पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण अनिवार्य है ।

§5§ §2§ के तहत् नोटिश भूस्वामी को नोटिश

§5§ §3§ जांच पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन

§5§ §4§ के तहत भूस्वामी को अपना पक्ष रखने हेतु एक युक्तियुक्त अवसर देंगे ।

इन अनिवार्य नियम की सर्वथा अवहेलना की गई है न तो कोई स्थल जांच हुई न कोई नोटिश या सूचना दी गई न अपना पक्ष रखने के लिए वादी को अवसर प्रदान किया गया अतः इसी बिन्दु पर पर्चा रद्द होने योग्य है ।

Sam
22/11/14

{ड} क्योंकि जैसा कि आदेश में रकवा 6 डी0 के चक अथवा घर अवस्थित का जिक्र किया गया है वैसा कोई चक सरजमीन पर अस्तित्व में नहीं है तथा प्रार्थी का 20 डी0 का आवासीय परिसर मौजूद है अगर स्थल पैमाईश हुई होती तो सारी स्थिति स्पष्ट होता ।

{च} क्योंकि कन्हैयालाल मूलत: राजस्थान के निवासी रहे थे तथा राजस्थान में ही उनकी मृत्यु हुई तथा मूलगाँव राजस्थान में उनको प्राप्त बासगीत की जमीन है तथा अब बिहारीगंज में नहीं रहते हैं जैसा उपर कहा जा चुका है कि एक भाई नन्दलाल नाई नोएडा, उत्तर प्रदेश तथा दूसरे भाई गुलाबबाग, पूर्णियाँ में आयुर्वेद की दवा फैक्ट्री खोले हुए हैं । मात्र बिहारीगंज की जमीन काफी कीमती है तथा हड़पने के उद्देश्य से ऐसा दावा ला रहे हैं ।

{छ} कि आदेश में ऐसा कहा जाना कि मारवारी समाज एवं जन प्रतिनिधियों ने बासगीत पर्चा निर्गत करने की माँग की है, लेकिन एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है । अत: वह विश्वास होने लायक नहीं है।

{ज} क्योंकि कन्हैयालाल नाई अथवा उनके वारिसों का कोई भी आवासीय परिसर नहीं रहा था बल्कि भूस्वामी द्वारा निर्मित आवासीय गृह के एक कमरे में रहते थे जो भूस्वामी की अनुमति से किरायेदार रहे थे तथा कन्हैयालाल यानी वादी के पिता सहित अन्य किरायेदार अब भी हैं । अत: बासगीत पर्चा रद्द होने योग्य है ।

{झ} क्योंकि आदेश में ऐसा कहा जाना कि घर में मात्र रेणु देवी रहती

24/11/14

है, वस्तुस्थिति पर आधारित नहीं है। पीटीशनर ललिता देवी वहां रहती है तथा प्रार्थी नागेश्वर यादव खेती वारी या अन्य कार्यवश गांव बिहारीगंज आते जाते रहते हैं तथा मात्र वादी ने अंचल अमलान को अपने मेल वो प्रभाव में लाकर ऐसा प्रतिवेदन भिजवाया है अतः आदेश रद्द होने योग्य है।

(ट) क्योंकि सम्पूर्ण आदेश अवैध अनिश्चित एवं अस्पष्ट एवं भ्रामक है। ऐसा कहा जाना कि जमीन मालिक ने नाई के रूप में कन्हैयालाल को लाया था था, गलत है, वस्तुत: वे अपने जीविकोपार्जन के लिये आये थे तथा नाई के रूप में अपना जीवन बसर करते थे एवं किरायेदार की हैसियत से रहते थे। अत: बासगीत पर्चा के हकदार नहीं है।

(ठ) क्योंकि आदेश में ऐसा भी कहा जाना कि आवेदक के पिता करीब 40 वर्षों से रह रहा है, सरासर मिथ्या, बेबुनियाद है तथा वस्तुत: उनके पिता कन्हैयालाल नाई की मृत्यु हो चुकी है एवं इस तथ्य को उनके वारिसान जानबूझकर छिपाया है तथा आवेदक ने अपना पता भी नहीं दिया है जो निष्पक्ष जांच से सामने आवेगा।

(ड) क्योंकि इसके अलावे भी अन्य सबल आधार है जो सुनवाई के समय रखे जायेंगे।

पीटीशनर

द्वारा

अधिवक्ता

सत्यापन/प्रमाण पत्र
===============

प्रमाणित किया जाता है कि इस रिविजन याचिका को मैंने तैयार किया है तथा रिविजन याचिका के पारा 1 से लगायत 10 तक में लिखि गई बातें साक्ष्य, कागजात एवं सबूतों के आधार पर सही वो सत्य है । इसमें कोई भी अंश छिपाया नहीं गया है ।

अधिवक्ता

न्यायालय में,

समाहर्त्ता, मधेपुरा ।

बासगीत पर्चा रिविजन सं0 ___________/वर्ष 2014

श्रीमती ललिता देवी वगैरह . . . . पिटिशनर

बनाम

नन्दलाल नाई . . . . प्रतिपक्षी

पीटीशनर की ओर से विलम्ब के दोष मार्जन हेतु लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत विलम्ब के दोष मार्जन हेतु दरखास्त फाईल कर इस प्रकार निवेदन करते हैं :-

1. कि प्रार्थी को मामले की कतई कोई जानकारी नहीं रही थी तथा अपवाहन जब बासगीत पर्चा की जानकारी मिली तो सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी जो सूचना उसे दिनांक 20.05.2014 को वादी की अनुपस्थिति में घर पर आया तथा जब मैं बाहर से दिनांक 19.6.14 को मधेपुरा आया तब सूचना की जानकारी मिली तथा जब जानकारी मिली कि 6 डी0 का नामान्तरण हो गया है तब माल गुजारी रसीद कटाने दिनांक 11.8.2014 को जानकारी मिली कि मात्र 14 डी0 का रसीद मिला तब रूपये पैसे का आ... बन्दोवस्त कर दिनांक 25.8.2014 को पता लगाकर बाजाप्ता नकल हेतु दरखास्त दिया जो नकल दिनांक 29.8.2014 को प्राप्त हुई तथा पढ़ने के बाद उपरोक्त तथ्यों से अवगत हुआ एवं नकल प्राप्ति उपरांत अविलंब रिविजन दायर

22/11/14

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA
COURT FEE
Authorization No. 2037
भारत INDIA STAMP DUTY 00000 Rs. 00000 5 374150 बिहार JUDICIAL BIHAR 21.11.2014
0546 8520399

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA
COURT FEE
Authorization No. 2037
भारत INDIA STAMP DUTY 00000 Rs. 00000 5 374150 बिहार JUDICIAL BIHAR 21.11.2014
0054 7414591

7332
22/11/2014

20/11/2014

22/11/2014

Annexure 5

समाहरणालय, मधेपुरा
(विधि शाखा)
पत्रांक...1085.../विधि

(28)

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
मधेपुरा।

13-10-14

मधेपुरा, दिनांक...13.../10/2014

विषयः- **श्री नंदलाल नाई की जमीन पर दखल कब्जा दिलाने हेतु (दो) सेक्सन सशस्त्र बल एवं 01 सेक्सन महिला पुलिस बल प्रतिनियुक्त करने के संबंध में।**

प्रसंगः- आपका ज्ञापांक 1712/रा0का0, दिनांक 20.09.2014।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि आपके द्वारा अनुमण्डल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज का ज्ञापांक 2630-2, दिनांक 18.09.2014 से श्री नंदलाल नाई, पिता- कन्हैया लाल नाई, सा0-बिहारीगंज, जिला- मधेपुरा के वासगीत पर्चा वाद संख्या- 22/2009-2010 पर्चावाली जमीन पर दखल कब्जा दिलाने हेतु अंचल अधिकारी, बिहारीगंज की प्रतिनियुक्ति कर दो सेक्सन सशस्त्र बल एवं 01 सेक्सन महिला पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने की मांग करने के फलस्वरूप सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति हेतु नियमानुसार राशि जमा नहीं करने के कारण अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा के उक्त आदेश को अनुमोदित कर आदेश निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है एवं आपके द्वारा वितंतु संवाद संख्या- 1711/रा0का0, दिनांक :0.09.2014 द्वारा थानाध्यक्ष, बिहारीगंज/अंचल अमीन, बिहारीगंज अंचल से उक्त निर्गत पर्चावाली जमीन पर जाकर विधि-व्यवस्था की दृष्टि से वस्तु स्थिति का आकलन कर उक्त सशस्त्र बल/महिला पुलिस बल से दखल दहानी कार्य शांतिपूर्ण ढ्ग से सम्पन्न होने हेतु प्रतिवेदन की मांग की गई है।

अतएव अनुरोध है कि श्री नंदलाल नाई, पिता- कन्हैया लाल नाई, सा0-बिहारीगंज, जिला- मधेपुरा के वासगीत पर्चा वाद संख्या- 22/2009-2010 पर्चावाली जमीन पर दखल कब्जा दिलाने हेतु अनुमण्डल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा समर्पित अधियाचना के अनुसार नियमानुसार सशस्त्र बल/महिला पुलिस बल प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
13/10/14
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1085 विधि, मधेपुरा, दिनांक-...13.../10/2014

प्रतिलिपिः अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/10/14
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

22/11/2014

GOVT. OF BIHAR
COURT FEE
Authorization No. 2037
भारत INDIA
STAMP DUTY
374150
JUDICIAL
21.11.2014
BIHAR
0049 3518476

न0 35 पू0 खेसरा न0298 पू0 रकवा 0.12 डि0 जोमौजा बिहारीगंज के अन्तर्गत आताहै का वासगीत पर्चा कन्हैया लाल नाई के नाम अंचल अधिकारी, उदाकिसनगंज द्वारा निर्गत कियागयाहै, उक्त जमीन बिहारीगंज अधिसूचित क्षेत्र समिति के अन्तर्गत पडताहै, प्रावधानानुसार अधिसूचित क्षेत्र× शहरी क्षेत्र की जमीन का वासगीत पर्चा निर्गत नही किया जा सकताहै, किन्तु अ0अ0 उदाकिसनगंज से उक्त प्रावधान को नजरअंदाज तक प्रश्नगत जमीन का वासगीत पर्चा निर्गत कर दिया है जो बिल्कुल ही अवैध है।

आवेदक के अधिवक्ता कायह कहना हैकि उन्हें प्रश्नगत जमीन केवाला द्वारा प्राप्त है, एवं आवेदिका के नाम से जमाबंदी भीकायम है तथा जमीन की अद्यतन मालगुजारी अदा करते आ रहे है आवेदक का यह भी कहना है कि प्रश्नगत जमीन पर आवेदिका का शांति पूर्ण ढंग से कब्जा है एवं रहते आ रहे है पूछे जाने पर आवेदक के अधिवक्ता के बताया हैकि उन्होने प्रश्नगत जमीन दिनांक 19.7.01 को दिनेस कुमार करनानी से

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	Date of delivery of the requisite stamps and folios.	Date on which the copy was ready for delivery.	Date of making over the copy to the applicant.

6·

बाद संख्या 22/2009-10

बासगीत पर्चा

हैसियत गैरमानक

बिहार प्रिविलन्स होमस्टीड टिनेन्सी रूल्स 1948 के नियम के उपनियम (5) के अधीन बासगीत का अभिलेख

गांव का नाम- बिहारीगंज, थाना संख्या 23। अंचल- बिहारीगंज

थाना- बिहारीगंज, डाकघर बिहारीगंज, भूमि के स्वामि का नाम" (पूरे ब्योरे के साथ) श्री मति ललिता देवी पति श्री नागेश्वर यादव

काश्तकार का नाम (पिता का नाम)"

पूरा पता और ब्योरा के साथ

1· श्री नन्दलाल नाई पिता कन्हैयालाल नाई सा0 - बिहारीगंज, जिला-मधेपुरा पत्नि श्री मति मधु देवी।

2· खाता 753, 3·खेसरा 349 4· रकबा 0·06एकड़(छ-डीसमल)मात्र

चौहद्दी उत्तर दक्षिण, उ0- भूधारी, द0- जगन्नाथ झॉवर

6· भूमि का प्रकार मकानमय सहन

मकानमय सहन

कर रहा है ।

2. कि प्रार्थी ने जानबूझ कर विलम्ब नहीं किया है मात्र मजबूरी एवं गैर जानकारी में यथा समय पर दायर नहीं कर सका ।

अत: सादर निवेदन है कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत रिविजन याचिका को स्वीकार कर सुनवाई उपरांत आक्षेपित आदेश को रद्द करने की असीम कृपा प्रदान की जाय जिसके लिए पिटिशनर सदा आभारी रहेगा ।

पिटिशनर

द्वारा

अधिवक्ता